रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 247] नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 31, 2002/ज्येष्ठ 10, 1924

No. 247] NEW DELHI, FRIDAY, MAY 31, 2002/JYAISTHA 10, 1924

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 मई, 2002

सा.का.नि 394(अ).—केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) की धारा 200 की उप-धारा (2) के खंड (क) के साथ पठित धारा 60 की उप-धारा (2) के खंड (छ) और धारा 198 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रेल (चालू लाइन) साधारण नियम, 1976 में और संशोधन करने के लिए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय रेल (चालू लाइन) साधारण (संशोधन) नियम, 2002 है।

(2) ये नियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय रेल (चालू लाइन) साधारण नियम, 1976, में—

(क) नियम 4.09 के उप-नियम (3) में, "ऐसे कागज पर होगा जो दोनों ओर हरा होगा" शब्दों के स्थान पर "सफेद कागज पर हरे फॉंट में होगा" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) नियम 14.25 में,—

(i) उप-नियम (1) में, दिए गए प्ररूप के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखे जाएंगे, अर्थात्—

फॉर्म सं. टी/सी 1425

क्रम सं.

..... रेलवे

पेपर लाइन क्लियर टिकट

(ड्राइवर/रिकार्ड)

डाउन

गाड़ी नं. डाउन (विवरण)

तारीख समय बजकर मिनट.

..... स्टेशन मास्टर से

गाड़ी नं डाउन के ड्राइवर को

लाइन क्लियर है और आपको स्टेशन के लिए आगे बढ़ने के लिए प्राधिकृत किया जाता है

अन्तिम गाड़ी सं. ने स्टेशन पर सेक्शन क्लियर किया.

प्राइवेट नं. (शब्दों में) (अंकों में).....

'ऑन' स्थिति में सिगनल पार करने के लिए प्राधिकार

*आपको अन्तिम रोक सिगनल को खतरे में पार करने हेतु प्राधिकृत किया जाता है, जब सिगनल ब्लॉक उपकरण के साथ इंटरलाक्ड हो.

.....

स्टेशन मास्टर के हस्ताक्षर

स्टेशन मास्टर की मोहर

*जो लागू न हो उसे काट दें.

फॉर्म सं. टी/सी 1425

क्रम सं.

..... रेलवे

पेपर लाइन क्लियर टिकट

(ड्राइवर/रिकार्ड)

अप

गाड़ी नं. अप (विवरण)

तारीख समय बजकर मिनट.

..... स्टेशन मास्टर से

गाड़ी नं अप के ड्राइवर को

लाइन क्लियर है और आपको स्टेशन के लिए आगे बढ़ने के लिए प्राधिकृत किया जाता है

अन्तिम गाड़ी सं. ने स्टेशन पर सेक्शन क्लियर किया.

प्राइवेट नं. (शब्दों में) (अंकों में).....

'ऑन' स्थिति में सिगनल पार करने के लिए प्राधिकार

*आपको अन्तिम रोक सिगनल को खतरे में पार करने हेतु प्राधिकृत किया जाता है, जब सिगनल ब्लॉक उपकरण के साथ इंटरलाक्ड हो.

.....

स्टेशन मास्टर के हस्ताक्षर

स्टेशन मास्टर की मोहर

*जो लागू न हो उसे काट दें.

IndiaCode

(ii) उप-नियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा अर्थात् :—

'(3) उप-नियम (1) और उप-नियम (2) में निर्दिष्ट टिकट सफेद कागज पर नीले फॉंट में मुद्रित किए जाएंगे, अप और डाउन दिशाओं के लिए पेपर लाइन टिकटों में भेद करने के लिए टिकट पर 'अप' और 'डाउन' इंगित करने वाले वॉटरमार्क तीर मुद्रित किए जाएंगे'।

[सं. 97/सेफ्टी (ए एंड आर)/29/15]

एम.सी. श्रीवास्तव, सदस्य, यातायात तथा पदेन सचिव

पाद टिप्पण :—मूल नियम भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 445(अ) तारीख 21 जुलाई, 1981 के तहत प्रकाशित किए गए थे तथा तत्पश्चात् उनमें निम्नलिखित अधिसूचनाओं के तहत संशोधन किए गए :—

(1) सा.का.नि. 320, तारीख 16 अप्रैल, 1983,

(2) सा.का.नि. 352, तारीख 30 अप्रैल, 1983,

(3) सा.का.नि. 514(अ), तारीख 27 जून, 1983,

(4) सा.का.नि. 476(अ), तारीख 28 जून, 1984,

(5) सा.का.नि. 245, तारीख 23 मई, 1992,

(6) सा.का.नि. 83, तारीख 17 फरवरी, 1996,

(7) सा.का.नि. 101, तारीख 23 मई, 1998,

(8) सा.का.नि. 47, तारीख 13 फरवरी, 1999,

(9) सा.का.नि. 213(अ), तारीख 18 मार्च, 1999,

(10) सा.का.नि. 283(अ), तारीख 26 अप्रैल, 1999,

(11) सा.का.नि. 581(अ), तारीख 3 जुलाई, 2000,

(12) सा.का.नि. 708(अ), तारीख 6 सितम्बर, 2000,

(13) सा.का.नि. 852(अ), तारीख 8 नवम्बर, 2000 (शुद्धि पत्र)

(14) सा.का.नि. 893(अ), तारीख 24 नवम्बर, 2000 तथा

(15) सा.का.नि. 913(अ), तारीख 12 दिसम्बर, 2000

IndiaCode

MINISTRY OF RAILWAYS

(Railway Board)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th May, 2002

G.S.R. 394(E).— In exercise of the powers conferred by clause (g) of sub-section (2) of Section 60 read with Section 198 of the Railways Act, 1989 (24 of 1989), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Indian Railways (Open Lines) General Rules, 1976, namely :—

1. (1) These rules may be called the Indian Railways (Open Lines) General (Amendment) Rules, 2002.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Indian Railways (Open Lines) General Rules, 1976,—

(a) in rule 4.09, in sub-rule (3), for the words "on green paper, both faces being green", the words "on white paper with green font" shall be substituted;

(b) in rule 14.25,—

(i) in sub-rule (1), for the form, the following shall be substituted, namely :—

Form No. T/B 1425

..... RAILWAY

Sr. No.

PAPER LINE CLEAR TICKET

(Driver/Record)

Down

Number of Train Down (Description)

Date Time hours..... minutes.

From Station Master

To The Driver of Train No. Down

The line is clear and you are authorized to proceed to station.

Last train No. cleared section at Station.

Private No. (in words) (in figures)

AUTHORITY TO PASS SIGNAL AT 'ON' POSITION

*You are authorized to pass Last Stop Signal in danger, when the signal is interlocked with Block Instrument.

.....

Signature of Station Master

Station Master's Stamp

*Strike out which ever is not applicable.

Form No. T/B 1425

..... RAILWAY

Sr. No.

PAPER LINE CLEAR TICKET

(Driver/Record)

Up

Number of Train Up (Description)

Date Time hours..... minutes.

From Station Master

To The Driver of Train No. Up

The line is clear and you are authorized to proceed to station.

Last train No. cleared section at Station.

Private No. (in words) (in figures)

AUTHORITY TO PASS SIGNAL AT 'ON' POSITION

*You are authorized to pass Last Stop Signal in danger, when the signal is interlocked with Block Instrument.

.....

Signature of Station Master

Station Master's Stamp

*Strike out which ever is not applicable.

(ii) for sub-rule (3) , the following shall be substituted, namely:—

"(3) The ticket referred in sub-rules (1) and (2) shall be printed on white paper with blue font. To distinguish paper line clear ticket for up and down directions, water mark arrow pointing "up" and "down" shall be printed on the ticket."

[No. 97/Safety (A&R)/29/15]
M. C. SRIVASTAVA, Member Traffic and Ex-Officio Secy.

Foot Note :—The principal rules were published vide notification number G.S.R. 445(E), dated the 21st July, 1981 and subsequently amended Notification number :—

(1) G.S.R. 320, dated the 16th April, 1983,

(2) G.S.R. 352, dated the 30th April, 1983,

(3) G.S.R. 514(E), dated the 27th June, 1983,

(4) G.S.R. 476(E), dated the 28th June, 1984,

(5) G.S.R. 245, dated the 23rd May, 1992,

(6) G.S.R. 83, dated the 17th February, 1996,

(7) G.S.R. 101, dated the 23rd May, 1998,

(8) G.S.R. 47, dated the 13th February, 1999,

(9) G.S.R. 213(E), dated the 18th March, 1999,

(10) G.S.R. 283(E), dated the 26th April, 1999,

(11) G.S.R. 581(E), dated the 3rd July, 2000,

(12) G.S.R. 708(E), dated the 6th September, 2000,

(13) G.S.R. 852(E), dated the 8th November, 2000 (Corrigendum)

(14) G.S.R. 893(E), dated the 24th November, 2000 and

(15) G.S.R. 913(E), dated the 12th December, 2000.

IndiaCode

1757 GI/02—2

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

IndiaCode